और यह शर्त लगाई गई है कि इन दो वर्षों के दौरान आदेश और वास्तविक डिलीवरी में हुई कमी राष्ट्रीय वस्त्र निगम आगामी 3 वर्षों अर्थात 1995-96, 1996-97, और 1997-98 में पूरी कर लेगा इसके अतिरिक्त और कोई समय सीमा नहीं बढ़ाई गई है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

सूती धागे के निर्यात पर प्रतिबंध

7019. **श्रीमती सुषमा स्वराज :**
श्री राम जेठमलानी :

क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने देश से सूती धागे के निर्यात पर लगी सीमा संबंधी रोक को वापस ले लिया है;

(ख) यदि हां, तो यह रोक किस तिथि को वापस ली गई तथा इसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या यह भी सच है कि अब सूती धागे का देश से मुक्त रूप से निर्यात किया जा सकता है;

(घ) यदि नहीं, तो ऐसे निर्यातों पर अभी भी किस प्रकार के प्रतिबंध लगे हुये हैं ;

(ङ) क्या यह भी सच है कि सूती धागे के निर्यात को दिये जा रहे प्रोत्साहन के कारण देश की कपड़ा मिलों तथा विद्युतकरघों को कच्चे माल की आपूर्ति के प्रभावित होने की संभावना है तथा इसकी कीमतें और बढ़ जाएंगी; और

(च) यदि नहीं, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और क्या सूती कपड़ा लोगों के स्वास्थ्य की दृष्टि से अधिक लाभकारी है क्योंकि यह देश की जलवायु के अनुकूल है ?

वस्त्र मंत्री (श्री जी० वेंकटस्वामी) : (क) से (च) सरकार वर्ष 1986 से वर्ष दर वर्ष आधार पर सूती यार्न के निर्यात पर मात्रात्मक अधिकतम सीमा निर्धारित करके सूती यार्न के निर्यात के मामले में एक प्रतिबंधात्मक दृष्टिकोण अपनाती रही है। अपरिष्कृत कपास के संबंध में उत्पादन तथा घरेलू मांग, सूती यार्न का उत्पादन तथा कीमत, विकेंद्रीकृत हथकरघा क्षेत्र की यार्न की आवश्यकता आदि, जैसे सभी संबंधित घटकों पर सावधानी पूर्वक विचार करने के बाद सरकार ने वर्ष 1995 के लिये सूती यार्न के निर्यातों के लिये अंतिम अधिकतम सीमा में कटौती करने का निर्णय लिया है। वर्ष 1994 के दौरान रीलीज की गई सभी कांउटों के लिये 130 मिलियन कि०ग्रा० की अंतिम अधिकतम सीमा की तुलना में वर्ष 1995 के लिये अधिकतम सीमा को 75 मिलियन कि०ग्रा० तक घटाया गया है। तथापि 75 मिलियन कि० ग्रा० की घटाई गई अधिकतम सीमा, 1–40 काउंट समूह में केवल सूती यार्न के निर्यातों के लिये लागू होगी। यह भी निर्णय लिया गया है कि 75 मिलियन कि० ग्रा० की अधिकतम सीमा में से 23 कि० ग्रा० की मात्रा को कोटा देशों को निर्यात के लिये अलग रखा जायेगा तथा 52 मिलियन कि० ग्रा० की लोग अधिकतम सीमा को 26 मिलियन कि० ग्रा० की दो छमाही किस्तों में वितरित किया जायेगा।

यह सही है कि सूती कपड़ा सिन्थेटिक तथा मिश्रत कपड़े की तुलना में स्वास्थ्य के लिये अधिक अनुकूल है।

12.00 Noon

PAPERS LAID ON THE TABLE

I. Report and Accounts (1993-94) of Textile Committee, Bombay and related papers.

II. Reports and Accounts (1993-94) of various Textile Export Promotion Councils and related papers.

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS SHRI MATANG SINGH: Madam on behalf of SHRI G. VENKAT SWAMY I lay on the Table a copy each in (English and Hindi) of the following papers:—

I (i) (a) Annual Report and Accounts of the Textiles Committee,

Bombay, for the year 1993-94, together with the Audit Report on the Accounts.

(b) Review by Government on the working of the above Committee.

(c) Statement giving reasons for the delay in laying the papers mentioned at (a) above. [Placed in Library. See No. LT-6739/94]

II (i) (a) Twenty-fifth Annual Report and Accounts of the Handloom Export Promotion Council, Madras, for the year 1993-94, together with the Auditors' Report on the Accounts.

(b) Review by Government on the working of the above Council.

(c) Statement giving reasons for the delay in laying the papers mentioned at (a) above. [Placed in Library. See No. LT-6942/94].

(ii) (a) Fortieth Annual Report and Accounts of the Synthetic and Rayon Textiles Export Promotion Council, Bombay, for the year 1993-94, together with the Auditors' Report on the Accounts.

(b) Review by Government on the working of the above Council.

(c) Statement giving reasons for the delay in laying the papers mentioned at (a) above (Placed in Library. See No. LT-6937/94.]

Notifications of Ministry of Finance (Deptt. of Revenue)

MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI M. V CHANDRASHEKARA MURTHY): Madam, I lay on the Table a copy each in (English and Hindi) of the Ministry of Finance (Department of Revenue), under section 159 of the Customs Act, 1962, together with Explanatory Memoranda on the Notifications:—

(1) GSR No. 50(E), dated the 3rd February, 1995, providing import duty on copper wire bars, copper cathodes and copper wire rods, made out of copper concentrates sent out of India, would be charged at 50 per cent of the value addition abroad.

(2) GSR No. 132(E), dated the 13th March, 1995, publishing the Import Manifest (Vessels) Amendment Regulations, 1995.

(3) GSR No. 272(E), dated the 16th March, 1995, amending the notification No. 161/92-Customs, dated the 20th April, 1992.

(4) GSR No. 275(E), dated the 20th March, 1995, amending the notification No. 69/95-Customs, dated the 16th March, 1995.

(5) GSR No. 285(E), dated the 22nd March, 1995, amending the notification No. 69/95-Customs, dated the 16th March, 1995.

(6) GSR No. 306(E), dated the 30th March, 1995, amending the Notification No. 47/95-Customs, dated the 16th March, 1995.

(7) GSR No. 310(E), dated the 31st March, 1995, regarding duty free import of goods supplied free of charge for the purpose of jobbing, repairing, servicing etc. subject to the condition that all goods including resultant products are re-exported to the supplier of the goods.

(8) GSR No. 311(E), dated the 31st March, 1995, amending notification Nos. 203/92 Customs, 204/92 Customs, 205/92-Customs dated the 19th May, 1992.

(9) GSR No. 323(E), dated the 1st April, 1995, prescribing concessional rates of basic customs duty on specified goods in column 3 of the table when imported into India from Sri Lanka.

(10) GSR No. 324(E), dated the 3rd April, 1995, exempting edible oils and any material from which